



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57978

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4354/2026

दिव्यांशु राय उर्फ आशीष राय

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: चन्द्र कुमार राय

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.), सत्य प्रकाश राय,
योगेश कुमार सिंह

न्यायालय सं० - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्र कुमार राय, राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर सुश्री अनीता सिंह एवं अपराध में विधेय के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत आवेदक दिव्यांशु राय उर्फ आशीष राय की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 356/2025, अन्तर्गत धारा 2(ख)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोपागंज, जिला मऊ में विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और किसी छिपे उद्देश्य के कारण उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। तीन मामलों के आपराधिक इतिहास की पर्याप्त व्याख्या की जा चुकी है।

यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या संयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में वर्णित गिरोह की गतिविधियों में दुष्प्रेरण अथवा सहायता नहीं की है। आवेदक का उक्त मामलों के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से पलायन अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक, जो दि० 28.11.2025 से कारागार में बन्द है, वचन देता है कि यदि जमानत दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों की भारी लम्बितता को दृष्टिगत रखते हुए विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई सम्भावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ब्रीफ होल्डर एवं अपराध में विधेय के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का विरोध किया किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदर्शित मामलों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला इंगित नहीं कर सके।

तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मैं इसे जमानत हेतु उचित प्रकरण पाता हूँ। अतः यह जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **दिव्यांशु राय उर्फ आशीष राय** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों के प्रकटीकरण से विरत करने के लिए प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डरायेगा-धमकायेगा नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप विरचन एवं (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलेखन की नियत तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, वह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिमत की अभिव्यक्ति नहीं माना जायेगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

20 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"